

प्रेषक,  
डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
नागरिक उड्डयन,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 19 मार्च, 2019

विषय: राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स०पी० के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै० सुधीर कुमार , पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 21 मार्च, 2019 से 01 अप्रैल, 2019 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 05 दिनों को सम्मिलित करते हुए) तक मेसर्स सी०ए०ई०, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34/ना०उ०वि०/उ०प्र०/आप्स-19/2016, दिनांक 26 फरवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में कैप्टन सुधीर कुमार , पायलट (फिक्स्ड विंग) को राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स०पी० के सिमुलेटर पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग पूर्ण कराये जाने हेतु सी०ए०ई०, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 23 मार्च, 2019 से 29 मार्च, 2019 तक कराये जाने के लिये विदेश यात्रा की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उपर्युक्त विदेश प्रशिक्षण की अवधि कैप्टन सुधीर कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-दो से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश प्रशिक्षण आदि के लिए न भेजा जाता।
- (2) प्रशिक्षण से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अधिकारी को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जायेगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय प्रशिक्षण/विदेश यात्रा काल का अंश माना जायेगा।
- (3) कैप्टन सुधीर कुमार को भारत से दुबई एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें वही यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जो भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन अनुमन्य है।
- (4) कैप्टन सुधीर कुमार को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डे तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।
- (5) विदेश में किये गये अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता उन दरों पर देय होगा, जिन दरों पर भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

- (6) विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जायेगा। आहरित धनराशि के अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
  - (7) विदेश यात्राओं/फर्म को भुगतान की गई धनराशि एवं स्वीकृत धनराशि के समायोजन का प्रमाण-पत्र शासन को भी प्रेषित किया जाय।
- 2- उक्त विदेश यात्रा पर संनिहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: जी-1-58 यू0ओ0/दस-2019, दिनांक 14 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी  
अनु सचिव।

संख्या-35/2019/617(3)/छप्पन-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 वित्त (लेखा) अनुभाग-1
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी  
अनु सचिव।